

पत्रांक-7/लो0स्वा0प्रयो0-21-01/2018 84(7)0

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान,
पटना।

पटना, दिनांक : 22-01-19

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ-0001-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ विपत्र कोड- 20-2210061070001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01) इकाई में कुल ₹6,11,810/- (छः लाख ग्यारह हजार आठ सौ दस रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-08(7)ब दिनांक-07.06.18, 45(7)ब दिनांक-05.10.18, एवं 70(7)ब दिनांक-28.12.18 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01) इकाई में कुल ₹6,11,810/- (छः लाख ग्यारह हजार आठ सौ दस रुपये) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ-0001-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ विपत्र कोड- 20-2210061070001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या-116(7) दिनांक-26.12.18) से प्राप्त राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा।

7. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

22/01/19

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

(3)

ज्ञापांक : 84(7)A

पटना, दिनांक : 22-01-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग,पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

Q. 8/19

सरकार के विशेष सचिव

Q

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2018-19 में (20-2210061070001) लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ अन्तर्गत चि0प्रतिपूर्ति के लिए आवंटन :-

| क्रम | जिला का नाम | चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01) | अभ्युक्ति |
|------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना | 611810 | 881/4.9.18 |
| | कुल | 611810 | |

(छः लाख ग्यारह हजार आठ सौ दस रू०)

Q. 8/19

सरकार के विशेष सचिव

(9)

उपबंध की स्थिति

| क्रमांक | प्राथमिक इकाई एवं कोड | बजट उपबंध | पूर्व में आवंटित राशि | वर्तमान आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि | अवशेष राशि |
|---------|------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | वेतन (0001-01-01) | 41714000 | 40574000 | 0 | 40574000 | 1140000 |
| 2 | जीवन यापन भत्ता (0001-01-03) | 6257000 | 5050400 | 0 | 5050400 | 1206600 |
| 3 | मकान किराया भत्ता (0001-01-04) | 6674000 | 6057400 | 0 | 6057400 | 616600 |
| 4 | परिवहन भत्ता (0001-01-05) | 864000 | 70000 | 0 | 70000 | 794000 |
| 5 | चिकित्सा भत्ता (0001-01-06) | 864000 | 109576 | 0 | 109576 | 754424 |
| 6 | अन्य भत्ता (0001-01-07) | 2085000 | 1989680 | 0 | 1989680 | 95320 |
| | योग 20-2210.06.107.0001.01-वेतन | 58458000 | 53851056 | 0 | 53851056 | 4606944 |
| 7 | चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001-06-01) | 615000 | 0 | 611810 | 611810 | 3190 |
| 8 | यात्रा व्यय (0001-11-01) | 500000 | 220000 | 0 | 220000 | 280000 |
| 9 | कार्यालय व्यय (0001-13-01) | 500000 | 310000 | 0 | 310000 | 190000 |
| 10 | विधि प्रभार (0001-13-05) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 11 | वर्दी/ पोषाक (0001-13-06) | 80000 | 55000 | 0 | 55000 | 25000 |
| 12 | किराया महसूल एवं कर (0001-14-01) | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 |
| 13 | प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03) | 568000 | 0 | 0 | 0 | 568000 |
| 14 | सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01) | 120000 | 55000 | 0 | 55000 | 65000 |
| 15 | मशीने एवं उपस्कर (0001-52-01) | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| | कुल योग:- | 61161000 | 54591056 | 611810 | 55202866 | 5958134 |

84(7) 9
22-01-19

Q. 8/19

सरकार के विशेष सचिव

(9)